

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) एम.आई.जी II/12 महाराणा प्रताप नगर विस्तार, हेलीपेड रोड, घंटाघर के समीप, निहारिका, कोरबा-495677 (छ.ग.) Office of the Project Director, Korba (C.G.)



MIG II/12 Maharana Pratap Nagar Extension, Helipad Road, Near Ghantaghar, Niharika, Korba- 495677 (C.G.)

फोन/Tel:07759-351000

ई—मेल :piukorba@nhai.org, piukorba@gmail.com वेवः www.nhai.gov.in

24011/2/PIU-Korba/Urga Path/Forest/2025/5593

Date: 29.01.2025

To,

The APCCF (Land Management), Govt. of Chhattisgarh, Sector-19 Aranya Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur (CG)

- Forest Proposal under Forest (Conservation) Act, 1980 for the diversion of forest land Sub: for non-forest purpose for the project "Chhattisgarh, Lot-3 (Urga-Pathalgaon Section) in the state of Chhattisgarh. Total proposed forest area for diversion is 169.0231 ha. (77.3042 ha in Korba Forest Division, 90.9718 ha in Dharamjaygarh Forest Division and 0.7471 ha in Jashpur Forest Division) in the State of Chhattisgarh.
- Ref: 1. MoEF&CC guidelines issued vide letter dated 17.12.2025 2. AIG (Forest) letter No.FC-8/21/2023-IRO-Raipur/109 dated 30.07.2024

Sir,

During the examination of the compliance report submitted by the Government of Chhattisgarh vide letter No. F-5-53/2023/10-2 dated 03.07.2024, the IRO, MoEF&CC, Raipur, in its letter dated 30.07.2024, has intimated that the Government of Chhattisgarh shall notify the non-forest area identified for Compensatory Afforestation (CA) purposes as Reserved Forest (RF)/Protected Forest (PF) and submit a copy of the same.

2. It is submitted that the MoEF&CC has recently issued guidelines dated 17.12.2024 regarding the streamlining of the approval process for Compensatory Afforestation, as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, as amended on 20.09.2024. As per the revised guidelines under Para-1(i), the following has been provisioned:

Provisions of Rule 14(1) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, Para-1(i): provides that the non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) is to be notified as Protected Forests before final approval (Stage-II) approval is granted by the Central Government. However, in cases where non-forest land identified for CA has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department (SFD), the Central Government may accord final approval keeping in view the fact that provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 become applicable on such lands being entered as forest in government record/record of rights.

In this regard, it is submitted that the non-forest CA land has already been 3. transferred and mutated in favour of the State Forest Department (SFD). A copy of the same is enclosed as Annexure-I for your reference. It is, therefore, requested to kindly recommend the proposal for consideration for Final (Stage-II) approval to the IRO, MoEF&CC, Raipur, as per the revised guidelines dated 17.12.2024.

29.01.2025

(ज्ञा.दे. पार्लावार / D.D. Parlawar) परियोजना निदेशक / Project Director कोरबा (छ.ग.) / Korba (C.G.)

Encl: As above

Copy to for information: 1. Principal Secretary (Forest), Govt of Chhattisgarh, Raipur

- 2. RO-Chhattisgarh, NHAI, Anupam Nagar, Raipur
- 3. DFO-Dharamjaigarh & Balodabazar
- 4. M/s UPHL, Camp Office, Village-Nonbirra, Distt.-Korba



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2512840

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-899/5 11

ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

रायपुर, दिनांक 20/02/2025

प्रति.

अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

- विषय :--Diversion of 169.0231 ha. (77.3042 ha in Korba Forest Division 90.9718 ha. in Dharamjaigarh Forest Division and 0.7471 ha. in Jashpur Forest Division) of forest land under Forest Conservation Act. 1980 in favour of Project Director National Highway Authority of India. for development of Urga-Pathalgaon Section of NH-130 A (Raipur-Dhanbad Econoic Corridor). from Km 70.200 to 157.745 km in Korba Dharamjaigarh & Jashpur Districts in the State of Chhattisgarh-reg.
- संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपूर का पत्र क्रमांक/ FC-8/21/ 2023/ IRO-Raipur / 109 दिनांक 30.07.2024

 - छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क/एफ 5–53/2023/10–2 दिनांक 08.08.2024
 परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा का पत्र कमांक/24011/2/PIU-Korba/Urga Path/Forest/2025/5593 दिनांक 29.01.2025

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम से आर.एफ. 🖊 पी.एफ. में स्थानांतरित कर वन विभाग के नाम से अधिसूचित की गई अधिसूचना प्रस्ताव की प्रति चाही गई है जिसकी संसूचना छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्राप्त हुई है।

संदर्भित पत्र-3 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतू समतुल्य गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) को वन विभाग के पक्ष में नामांतरण एवं हस्तांतरण किया जाकर आदेश की प्रति संलग्न करते हए आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनाक 17.12.2024 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण में द्वितीय चरण स्वीकृति प्रदाय किये जाने का लेख किया गया है।

चूंकि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छ.ग. शासन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) का अधिसूचना प्रस्ताव संशोधन हेतु वन मंडलाधिकारी बलौदाबाजार को मूलतः वापस किया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

अतः तदनुसार आवेदक संस्थान के उक्त अनुरोध पर प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय नवा रायपुर को लेख किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

> अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विविध/115–899/ 5 1 2

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

- 1.
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर / सरगुजा / रायपुर वृत्त, छत्तीसगढ़। वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ / कोरबा / जशपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़। 2.
- वन मंडलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। भारत सरकार द्वारा आयोजित एफआरसीएम की एजेण्डा में उक्त प्रकरण शामिल है जिसका निराकरण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हो 3. रहे है। अतः संशोधित अधिसूचना प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के माध्यम से तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा, छत्तीसगढ़। 4.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (स. एव स.) अ.) छत्तीसगढ